संख्या 41/1562/35-4-2014

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 24 दिसम्बर,2014

विषय: वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजीपुर में 100 हैण्डपम्प के कार्य की शासनादेश संख्या:43/35-4-2014 दिनांक 8 जनवरी,2014 के द्वारा रू. 37.45 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 18.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । जिलाधिकारी के पत्र संख्या-709/ त्व0आ0वि0यो0/2014-15 दिनांक 19 अगस्त,2014 द्वारा उक्त स्वीकृत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा हैण्डपम्पों के स्वीकृत कार्यों की लागत रू. 37.45 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 18.73 लाख (रूपये अट्ठारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 08 जनवरी, 2014 की शर्तं यथावत लागू रहेंगी।
2- कार्यों के लिए अवमुक्त धनराशि को ब्याज अर्जित करने उद्देश्य से आहरित कर बैंक /डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
3- प्रश्नगत धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
4- इस शासनादेश से प्रश्नगत कार्य के लिए अनुमोदित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। इस प्रकार अब कोई धनराशि देय न होगी। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या- 40 -आयोजनागत-लेखाशीर्ष- 4215 -जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत -01- जलपूर्ति -102- ग्रामीण जलपूर्ति -03-त्वरित आर्थिक विकास योजना- 02 - जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24 -वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/ दस- 2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:41/1562(1)/35-4-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा , प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा;मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
7- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
8- प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 जल निगम ।
9- कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजीपुर।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in